RNI No. 43038/1985 Postal Reg. No.: DL(C)-14/1434/2024-26, Posting Date: 28 & 29 of the Same Month

मूल्य: 10 रुपये

नेजाजी की जुबानी

''अन्याय और गलत के साथ समझौता करना जघन्यतम अपराध है–भूलना नहीं चाहिए। शाश्वत नियम याद रखें: यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको पहले देना होगा।''

जन गर्जन

वर्ष 39 अंक 7 हिन्दी मासिक नई दिल्ली जुलाई –2024 विक्रमी संवत्–2078 प्रधान संपादक: देवब्रत बिश्वास, वार्षिक – शुल्क: 100 रुपये

तीन नए आपराधिक कानूनों की उचित और गंभीर समीक्षा आवश्यक

जी. देवराजन
महासचिव
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक

तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हुए जो क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं। इन कानूनों ने क्रमशः भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1898 और 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 की जगह ली है। सरकार का दृष्टिकोण इस सन्दर्भ में यह है कि पूर्ववर्ती कानून स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजी काल का अवशेष रहा है जो पुराने व उपयोग हीन हो चुके हैं तथा आधुनिक विचार विनिमय के द्वारा विकसित अधिकारों से मेल नहीं खाते हैं।

प्रमुख राजनेता गण, विद्वतजन, कानूनवेत्ता गण और विशिष्ट विश्लेषणकर्ताओं ने इन नए कानूनों को लेकर गहरी चिन्ता व्यक्त किया है। हाल ही में सम्पन्न हुए आम लोकसभा चुनाव में भाजपा को राजनैतिक और नैतिक हार मिली है फिर भी प्रधानमंत्री मोदी संविधान की गरिमा के समक्ष नतमस्तक होने का प्रदर्शन करते हैं। सत्य का स्मरण कीजिए। सत्य यह है कि जो तीन नए कानूनों को लागू किया गया है उन्हें संसद में 150 सांसदों को निलम्बित कर पारित किया गया है। देश की संसदीय प्रणाली को बुरी तरह प्रभावित किया गया है। संसद व देश की जनता का यह अपमान जबरन बलपूर्वक पारित किए जाने के कृत्य ने हम सबको बहुत गहरे झकझोर दिया है। तीन पूर्ववर्ती कानूनों आईपीसी, सीआरपीसी और इंडिया इविडेंश कानून को बदल कर लाए गए कानूनों में बहुत समानता है। लगभग 90 प्रतिशत तक तो पुराने कानूनों का कट एंड पेस्ट है। फिर किस तर्क के बल पर यह कहा जा रहा है कि नए कानून हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करने वाले है?

अवमानना प्रदान करने वाले अनेक प्रावधान हैं। कुछ प्रावधान प्रथम दृष्ट्या असंवैधानिक है। ऐसे प्रावधानों पर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की तथा तीन नए कानूनों के ऊपर विस्तृत विरोध लिखित रूप से व्यक्त किया। इन लिखित विस्तृत विरोध के ऊपर सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त किया। देश की संसद में कोई बहस या चर्चा नहीं हुई क्योंकि षड्यंत्र पूर्वक सरकार ने 150 सांसदों को निष्काषित कर दिया था। नए तीन आपराधिक कानूनों की खामियों को लेकर देश के जाने–माने कानून वेत्ताओं, जजों, वकीलों और विश्लेषणकर्ताओं ने अनेक लेख लिखे तथा सेमिनार किए। इनकी आपत्तिजनिक बातों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया परन्तु सरकार अप्रभावित रही।

वस्तुतः आपराधिक कानूनों को परिवर्तित करने का बीड़ा मोदी सरकार ने तब उठाया था जब वह अपने बल पर पूर्ण बहुमत में थे और आसन्न आम चुनाव में किसी भी कीमत पर विजयी बन राजसत्ता अपने हाथों में सख्ती से बनाए रखना चाहते थे। सरकार की मंशा स्पष्ट है। पुराने कानूनों को औपनिवेशक मनोदशा से मुक्ति का स्वांग रच कर नए कानून जबरिया असंवैधानिक तौर पर थोपे गए हैं जिसमें दमनकारी पुलिस राज की प्रमुखता होगी तथा निहित राजनैतिक स्वार्थ पूरे किए जायेंगे। नए कानून के अनुसार पुलिस हिरासत की अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 60 या 90 दिन की कर दी गई हैं। इस तरह विरोधियों को कुचलने और मौन करने का निर्मम कृत्य

शेष पेज 5 पर...

पंचशील की 70वीं वर्षगांठ

इस वर्ष शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के पंचशील की 70वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में एआईएफबी, सीपीआई (एम), सीपीआई और अन्य नागरिक समाज संगठनों के नेताओं ने भाग लिया।

4 जुलाई 2024 को शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के पांच सिद्धांतों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दूतावास द्वारा आयोजित संगोष्ठी में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव कॉमरेड जी देवराजन की टिप्पणियां:

भारत में चीनी राजदूत माननीय हू फेइहोंग,
प्रिय साथियों और मित्रों,

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जटिल परिदृश्य में, शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व और आपसी सम्मान के सिद्धांतों ने अक्सर राष्ट्रों के बीच स्थिर और सहकारी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आधार के रूप में काम किया है। भारत और चीन के लिए, 1954 का पंचशील समझौता ऐसे सिद्धांतों का प्रमाण है, जो आपसी समझ, गैर–हस्तक्षेप और संप्रभुता के सम्मान के सार को समाहित करता है। जैसे–जैसे ये दो प्राचीन सभ्यताएँ समकालीन वैश्विक क्षेत्र में अपनी भूमिकाएँ निभाती रही हैं, पंचशील की प्रासंगिकता कम नहीं होती है, जो रचनात्मक जुड़ाव और संघर्ष समाधान के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान के सिद्धांत द्विपक्षीय संबंधों में प्रासंगिक बने हुए हैं। भारत और चीन दोनों ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध सामाजिक संरचनाओं वाली प्राचीन सभ्यताएँ हैं। एक–दूसरे की संप्रभुता की स्वीकृति और गैर–हस्तक्षेप के प्रति प्रतिबद्धता, विश्वास और समझ के माहौल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हैं। जैसे–जैसे दोनों राष्ट्र वैश्विक मंच पर अपनी भूमिकाओं को विकसित और मुखर करना जारी रखते हैं, इन सिद्धांतों का पालन मतभेदों को प्रबंधित करने और संघर्षों को रोकने में मदद करता है। इसलिए, दशकों से भू–राजनीतिक बदलावों और चुनौतियों के बावजूद, पंचशील

शेष पेज 2 पर...

उपचुनावों के नतीजे: मोदी राज का तीव्र क्षरण जारी है

संपादकीय

गत 10 जुलाई को सात राज्यों की 13 विधानसभा क्षेत्रों के आवश्यक हो चले चुनाव कराए गए जो मृत्यु या त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हो चुके थे। गत् 4 जून को आम लोकसभा के चुनावी नतीजे आए थे जिसमें मोदी काल का पतन दिखाई दिया तथा भाजपा को 240 लोकसभा की सीटें प्राप्त हुई। स्पष्टतया इंडिया ब्लॉक शक्तिशाली हुआ है यह कहा जा सकता है। इन उपचुनावों के नतीजे आए हैं जिसमें 13 में से 10 सीटें इंडिया ब्लॉक, दो भाजपा और एक निर्दल ने जीतीं हैं।

पश्चिम बंगाल की कुल चार सीटें थी जिन्हें तृणमूल कांग्रेस ने, उत्तराखंड व हिमाचल में दो–दो सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं। पंजाब की इकलौती सीट पर आम आदमी पार्टी विजयी रही। बिहार की एक सीट निर्दल ने जीती। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश व मध्य प्रदेश में एक–एक सीट जीती, जहां उसकी जीत का अन्तर बेहद कम था। उपचुनावों के इन नतीजों को देखकर कुछ स्पष्ट संदेश निकल कर आ रहे हैं। मोदी राज का क्षरण तेजी से जारी है।

हमारा देश अधिनायकवाद और केन्द्रीकृत तौर से नहीं चलाया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद (1) कहता है: ''इंडिया जो भारत है वह राज्यों का समूह (यूनियन) है।'' हमारे संविधान निर्माताओं ने 'फैडरलिज्म' शब्द का प्रयोग करने के बजाय राज्यों को महत्व दिया है तथा 7वीं सूची में अनेक प्रावधान दिए हैं जिससे राज्यों को महत्व दिया है। यह प्रारम्भिक पाठ पढ़ने में भाजपा अक्षम रही है। भाजपा ने विगत दो कार्यकाल में 'वन नेशन, वन इलेक्शन...' की अवधारणा को हम सब पर थोपा और ऐसा मानसिक दबाव हम सब पर गढ़ा है। इस अवधारणा को जनता ने ठुकरा दिया। यह पहला संदेश है।

दूसरा संदेश है कि अब जागरूक हो चुकी जनता को दबाया नहीं जा सकता, विशेष रूप से युवा वर्ग की और उपेक्षा सम्भव नहीं है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान आवश्यक है अन्यथा एक ज्वालामुखी बनकर यह फटेगा।

देश की बहुसंख्यक आबादी को मूलभूत सामग्रियों की भयावह कीमतों का दंश सहना पड़ रहा है। ध्वस्त हो चुके शिक्षा व स्वास्थ्य तंत्र की पीड़ा भोगनी पड़ रही है। किसानों की समस्या को और अधिक अनदेखा करने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा–यह तीसरा संदेश है।

उपचुनावों के नतीजे मोदी राज के समापन की ओर इशारा कर रहे हैं तथा इंडिया ब्लॉक के सम्मिलित प्रयत्न के बल पर नए सृजन की राह प्रशस्त कर रहे हैं। संयुक्त प्रयास को सम्बल देने वाले ये नतीजे राज्यों की गरिमामयी सशक्त परिस्थिति व संविधान में अनेक वर्णित स्थान को याद दिलाती हैं। ये नतीजे कह रहे हैं कि सात राज्यों से देश की नब्ज प्रकाशित हो रही है तथा विपक्ष द्वारा शासित राज्यों की महत्ता देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रामाणित रूप से सहयोगी है–ऐसी राजनीतिक शिक्षा प्रकाशित होती है।

हाल ही में 2 जुलाई को प्रधानमंत्री ने 'कम्परीटिव कोआपरेटिव फेडरिज्म' चर्चा किया और अच्छे विचार प्रस्तुत किए परन्तु उनकी कार्यशैली तो सदा से भेदभावमूलक रही है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार जैसे शब्द दस वर्षों से सुनते सुनते लोग थक चुके हैं और भेद पैदा करने वाली खतरनाक राजनीति को देखना नहीं चाहते हैं। हमारे मौलिक ढाचें को बहुत चोट पहुंचाई गयी है।

संक्षिप्त में इस उपचुनाव के नतीजों को विपक्ष के संयुक्त प्रयास की जीत के रूप में देखना चाहिए। सत्ता के ऊपर जनता की जीत है, तथा अधिनायकवाद के ऊपर आम जनता की जीत है। उपचुनाव के नतीजे इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इंडिया ब्लॉक की सफलता का सूरज उदय होने वाला है क्योंकि इन सात राज्यों के उपचुनाव का परिणाम राष्ट्रव्यापी है। यह विजय रथ आगे बढ़ता जा रहा है। इसकी गति में त्वरण मिल रहा है। जनोन्मुख नीतियों का सृजन आज के समय की मांग है और इस दशा में विपक्ष समूह को इस दिशा में और अधिक तत्परता के साथ कार्य करना होगा।

पंचशील की 70वीं वर्षगांठ

पेज 1 से जारी...

समझौता चीन–भारत संबंधों के समकालीन संदर्भ में स्थायी प्रासंगिकता रखता है। इसके अलावा, पारस्परिक लाभ का सिद्धांत आर्थिक और विकासात्मक क्षेत्रों में सहयोग की क्षमता को रेखांकित करता है। भारत और चीन दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से हैं, जिनका वैश्विक प्रभाव महत्वपूर्ण है। पंचशील सिद्धांतों के तहत सहयोगी प्रयास संयुक्त उद्यम, व्यापार साझेदारी और तकनीकी आदान–प्रदान की सुविधा प्रदान कर सकते हैं जो न केवल दोनों देशों को लाभान्वित करते हैं बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता में भी सकारात्मक योगदान देते हैं। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी समकालीन वैश्विक चुनौतियों के सामने, भारत और चीन के बीच सहयोग अनिवार्य हो जाता है। दोनों देशों की आबादी बहुत ज्यादा है और उनके पारिस्थितिक पदचिह्न भी बहुत ज्यादा हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास पर सहयोग बहुत जरूरी हो जाता है। पंचशील सिद्धांत एक नैतिक ढाँचा प्रदान करते है जो दोनों देशों को समान लक्ष्यों की दिशा में मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे पूरी मानवता को लाभ हो। पंचशील द्वारा प्रदान किए गए कूटनीतिक ढाँचे के साथ, हमारा मानना भी है और समय की माँग है कि भारत और चीन के लोगों के बीच आपसी मित्रता को मजबूत किया जाए। शैक्षिक आदान–प्रदान, अकादमिक शोध सहयोग और मीडिया भागीदारी सामाजिक अंतर को पाटने और सहयोग और आपसी सम्मान के साझा दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बातचीत सहानुभूति को बढ़ावा देती है, रूढ़िवादिता को दूर करती है और राजनीतिक मतभेदों से परे विश्वास की नींव रखती है।

भू–राजनीतिक तनाव या कूटनीतिक चुनौतियों के समय लोगों के बीच संबंधों का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। जबकि सरकारें नीतिगत मतभेदों या रणनीतिक चिंताओं से जूझ सकती हैं, सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों, शैक्षणिक भागीदारी और युवा आदान–प्रदान के माध्यम से बनाए गए जमीनी स्तर के संबंध स्थिरता प्रदान करने में कार्य कर सकते हैं। ये बातचीत नागरिकों के बीच अपनेपन और एकजुटता की साझा भावना पैदा करती है, कूटनीतिक तनाव की अवधि के दौरान भी संवाद और रचनात्मक जुड़ाव को प्रोत्साहित करती है। लोगों के बीच बेहतर संबंध अधिक आर्थिक सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं, संयुक्त उद्यमों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और व्यावसायिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त करते हैं जो दोनों समाजों को लाभान्वित करते हैं और क्षेत्रीय और वैश्विक समृद्धि में सकारात्मक योगदान देते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते की प्रासंगिकता केवल इसके ऐतिहासिक महत्व में ही नहीं बल्कि समकालीन चुनौतियों के प्रति इसकी अनुकूलता में भी निहित है। जैसे–जैसे दोनों देश तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था में अपनी भूमिकाएँ निभाते हैं, पंचशील के सिद्धांत स्थिरता, सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए एक दिशा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, मजबूत लोगों के बीच संबंधों में निवेश यह सुनिश्चित करता है कि भारत और चीन के लोगों के बीच दोस्ती के बंधन लचीले और स्थायी बने रहें, जो अधिक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध विश्व व्यवस्था में योगदान करते हैं। जैसा कि दोनों देश भविष्य की ओर देख रहे हैं, पंचशील और लोगों के संबंधों के बीच तालमेल 21वीं सदी और उसके बाद भी सतत सहयोग और साझा विकास के लिए एक आशाजनक मार्ग प्रदान करता है।

शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के पांच सिद्धांतों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर, मैं चीन और भारत के लोगों के लिए सफलता और समृद्धि की कामना करता हूं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के लोगों के बीच भाईचारे का रिश्ता और मजबूत होगा।

चीन और भारत के लोगों के बीच भाईचारे का रिश्ता अमर रहे।

आप सभी का धन्यवाद।

देशभर में फारवर्ड ब्लॉक पार्टी इकाइयों ने जननेता कॉमरेड अशोक घोष का 104वां जन्मदिन मनाया। पार्टी के साथियों, समर्थकों और जनमोर्चो के नेताओं ने हमारे प्रिय नेता कॉमरेड अशोक घोष की याद में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

भारतीय चिकित्सा मिशन को चीन भेजने में सुभाष चंद्र बोस का योगदान

डा. अनिरबन घोष

भारत और चीन पिछले दो हजार वर्षों से पड़ोसी देश हैं और सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षिक संबंध बनाए हुए हैं। पिछले सौ वर्षों में, दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में आदान–प्रदान जारी रखा। बीसवीं सदी की शुरुआत में, 1924 में रवींद्रनाथ टैगोर की चीन यात्रा ने द्विपक्षीय सांस्कृतिक वार्ता को बहाल किया। द्वितीय विश्व युद्ध में, चीनी लोगों ने जापानी साम्राज्यवाद के खिलाफ संकट का सामना किया, जिससे भारत में सहानुभूति पैदा हुई। सुभाष चंद्र बोस ने जापानी व्यवहार का विरोध किया और चीन को अपना समर्थन दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) कार्य समिति ने तीन मुख्य मुद्दों पर चीन की मदद करने का फैसला किया: एक, जापान के खिलाफ चीनी लोगों की लड़ाई और चीनी लोगों के प्रति सहानुभूति, दो, भारत में जापानी सामान का बहिष्कार और तीन, डॉक्टरों, नर्सों, दवाओं और कपड़ों के साथ चीन को एक मेडिकल एम्बुलेंस भेजना। फरवरी 1938 में, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष बने, और उन्होंने मुख्य रूप से चीन को मेडिकल मिशन भेजने की पूरी जिम्मेदारी ली। चीन में चिकित्सा मिशन के सदस्य: 29–31 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता में आयोजित एआईसीसी कार्यसमिति की बैठक ने चीन में जापान के आक्रमण के लिए उसके खिलाफ प्रस्तावों की सिफारिश की। समिति ने चीनी लोगों द्वारा जापान के खिलाफ लड़े गए बहादुरी और वीरतापूर्ण संघर्ष के लिए गहरी प्रशंसा व्यक्त की। कार्यसमिति ने पूरे देश में 12 सितंबर और 26 सितंबर 1937 को 'अखिल भारतीय चीन दिवस' मनाने का फैसला किया। समिति ने योग्य चिकित्सकों से आवेदन स्वीकार करने का फैसला किया जो चीन में चिकित्सा मिशन में शामिल होना चाहते हैं और कम से कम एक वर्ष तक सेवा करने का वचन मांगा गया था। इसने फैसला किया कि चीन में उपकरण, बोर्ड और आवास का खर्च और डक्टरों के लिए एक छोटा सा जेब भत्ता प्रदान किया जाएगा, कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। अंत में, पाँच डाक्टरों का चयन किया गया जो थे: 1. डा मदन मोहन लाल अटल, उम्र 52 (मिशन के नेता), 2. डा. मोरेश्वर राम चौधरी चोलकर, उम्र 58 (मिशन के उप नेता), 3. डा. द्वारकानाथ शांताराम कोटनिस, आयु 28 (मिशन के सदस्य),

4. डा. देवेश चंद्र मुखोपाध्याय, आयु 26 (मिशन के सदस्य),

5. डा. बिजय कुमार बोस, आयु (मिशन के सदस्य)।

डा. बिजय कुमार बोस को अंतिम समय में रणेंद्र सेन गुप्ता के स्थान पर चीनी चिकित्सा मिशन के सदस्य के रूप में चुना गया था, क्योंकि उन्होंने चीन के लिए पासपोर्ट देने से इन्कार कर दिया था (द इंडियन एक्सप्रेस, 26.08.1938)।

चीन में चिकित्सा मिशन भेजने के लिए सुभाष चंद्र बोस की पहल: 19–21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा के विट्ठलनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 51वें अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। अध्यक्षीय भाषण में, सुभाष चंद्र बोस ने फारस, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बर्मा, सियाम, मलाया राज्य, ईस्ट इंडीज और सीलोन जैसे हमारे पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध विकसित करने की वांछनीयता और आवश्यकता पर बल दिया। सुभाष चंद्र बोस ने 23 अप्रैल 1938 को तान युनशान को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने तान युनशान और चीनी लोगों के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया। तान युनशान शांतिनिकेतन में विश्वभारती विश्वविद्यालय के चीन–भवन के निदेशक थे, जिसे 14 अप्रैल, 1937 में चीन–भारतीय शोध केंद्र के साथ–साथ चीन–भारतीय सांस्कृतिक सोसायटी के कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। बोस भारत में सिनो–इंडियन कल्चरल सोसाइटी की गतिविधियों और तान युनशान के इससे जुड़ाव से अवगत थे। "आप भारत में काफी लंबे समय से हैं और यह महसूस करने में सक्षम हैं कि चीनी लोगों और उनकी प्राचीन संस्कृति के लिए हमारा स्नेह और सम्मान कितना गहरा है।–––हमारे महान लोगों के साथ आपके घनिष्ठ संबंध ने आपको आश्वस्त किया होगा कि हम आपके इतिहास के सबसे काले दौर में आपके राष्ट्रीय संघर्ष में निकटतम रुचि और सहानुभूति के साथ अनुसरण करेंगे", सुभाष बोस ने तान को लिखा था। उन्होंने एक पत्र में जापान के खिलाफ अपने संघर्ष के दौरान चीनी लोगों के साथ सहानुभूति दिखाने के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वसम्मत प्रस्ताव का भी उल्लेख किया और उनका समर्थन मांगा। सुभाष चंद्र बोस ने 15–19 मई, 1938 के दौरान बॉम्बे में एक बैठक बुलाई, जहाँ चीन में एम्बुलेंस भेजने के लिए एक उप–समिति का गठन किया गया। चीन में डॉक्टरों और नर्सों के साथ एक मोटर एम्बुलेंस भेजने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया गया, जहां डा. मदन मोहन अटल ने टीम का नेतृत्व किया। 12 जून 1938 को, चीनी लोगों के लिए धन जुटाने के लिए मुख्य रूप से कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, नागपुर आदि में अखिल भारतीय चीन दिवस मनाया गया और कई बैठकें की गईं। सुभाष चंद्र बोस ने लोगों को 18 जून 1938 को 'चीन' दिवस मनाने का आह्वान किया। सुभाष चंद्र बोस ने चीन के लिए एम्बुलेंस कोर के समर्थन में एक प्रेस बयान जारी किया। "जब से पिछले साल चीन में जापानी आक्रमण शुरू हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता और शांति के लिए अपने संघर्ष में चीनी लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति बार–बार व्यक्त की है। सहानुभूति के प्रस्ताव पारित करने के अलावा, पूरे देश में चीनी समर्थक प्रदर्शन हुए", इस कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए आठ हजार रुपये एकत्र किए गए और योग्य डक्टरों, अधिमानतः अनुभवी सर्जनों को पूरी तरह से सुसज्जित मोटर एम्बुलेंस के साथ भेजा। सुभाष बोस ने सभी कांग्रेस संगठनों से 12 जून 1938 को 'अखिल भारतीय चीन दिवस' मनाने का आग्रह किया ताकि बैठकें और जुलूस आयोजित करने के अलावा मेडिकल मिशन के लिए धन एकत्र किया जा सके। बोस ने संकटग्रस्त और घायल चीनी लोगों की मदद के लिए मेडिकल स्टोर और उपकरणों को एकत्र करने का आग्रह किया। अधिक धन इकट्ठा करने के लिए, बोस ने 7–9 जुलाई, 1938 को अखिल भारतीय चीन दिवस मनाने की घोषणा की।

12 अगस्त 1938 को, विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा प्रसिद्ध चीनी सामाजिक कार्यकर्ता ताओ शिंगजी के सम्मान में एक बैठक आयोजित की गई थी जहाँ सुभाष चंद्र बोस ने उनका स्वागत किया था। सुभाष चंद्र ने जापान के खिलाफ चीनी लोगों के युद्ध के लिए समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि आईएनसी (कांग्रेस) द्वारा चीन में एक मेडिकल मिशन भेजना चीनी लोगों के लिए मित्रता का प्रतीक है। ताओ शिंगजी ने सुभाष बोस को धन्यवाद दिया क्योंकि चीनी लोग जापान के खिलाफ अपनी लड़ाई में अकेले नहीं महसूस करते हैं (युगांतर पत्रिका, 13.08.1938)।

14 अगस्त 1938 को कलकत्ता के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हॉल में एक विदाई समारोह आयोजित किया गया था, जहाँ सुभाष चंद्र बोस ने सत्र की अध्यक्षता की। मेडिकल मिशन के बंगाली सदस्य, जैसे डा. हरिदास मुखर्जी और डा. देबेश मुखर्जी विदाई समारोह में उपस्थित थे (युगांतर पत्रिका, 13.08.1938 हम अंतरराष्ट्रीय मामलों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, उन लोगों के साथ जो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने या इसे अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम, एक अधीन राष्ट्र के रूप में, जानते हैं कि स्वतंत्रता का क्या मतलब है", सुभाष बोस ने कहा जब वे रणेंद्रनाथ सेन और डा. देवेश मुखर्जी की सार्वजनिक बैठक की विदाई कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। इसलिए चीन को उसकी संकटपूर्ण स्थिति में सहायता करने की तैयारी 1937 में शुरू हुई, लेकिन मेडिकल मिशन भेजने का अंतिम कार्य 1938 में किया गया जब सुभाष चंद्र पार्टी के शीर्ष पद पर थे। इसके अलावा, सुभाष बोस ने असहाय और जरूरतमंद बच्चों के लिए चीन को 5,000 नए कपड़े भेजने की पहल की।

इस पहल के अलावा, श्रीमती अमृत कौर ने संकटग्रस्त चीनियों के लिए चीनी पैटर्न के अनुसार सिले हुए 10,000 चादरें या रैपर, कंबल और महिलाओं के कपड़े भेजने की घोषणा की (द इंडियन एक्सप्रेस, 30.08.1938)। चीनी लोगों की सहायता के लिए 23 अप्रैल 1939 को चित्रा और 30 अप्रैल को कलकत्ता के पूर्णा थिएटर में एक फिल्म शो कार्यक्रम के माध्यम से धन जुटाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। चीन सहायता प्रगतिशील फिल्म समिति का गठन रवींद्र नाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस ने किया था।

मेडिकल मिशन के चीन की ओर प्रस्थान करने से पहले, बॉम्बे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदाई

शेष पेज 4 पर...

3 नए आपराधिक कानूनों को वापस लेने की जरूरत है

(8 जुलाई 2024 को तीन नए आपराधिक कानूनों पर सीटीयू के मंच द्वारा निम्नलिखित बयान जारी किया गया था।)

1 जुलाई 2024 से लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के दूरगामी प्रभावों से आम लोगों के अनजान होने की संभावना है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि:

इन कानूनों को उचित परामर्श के बिना, संसदीय समिति द्वारा दिए गए सुझावों को नजरअंदाज किए बिना, मसौदा सार्वजनिक किए बिना लोगों पर थोपा गया है।

यह तर्क कि ये ब्रिटिश काल के कानूनों को बदलने के लिए हैं, गलत है क्योंकि इसमें पहले के कानूनों के सभी प्रावधान बरकरार हैं, जिससे उनमें से कुछ और भी सख्त हो गए हैं। उदाहरण के लिए, आईपीसी की धारा 124, जिसका उद्देश्य राजद्रोह (एक विशिष्ट ब्रिटिश राज अधिनियम) को दंडित करना है, को बरकरार रखा गया है और इसके 3 साल के कारावास के प्रावधान को बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है! लोगों के किसी भी जमावड़े और जमावड़े के नेताओं को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। सभी ट्रेड यूनियन गतिविधियों को इस प्रावधान के तहत लाया जा सकता है।

इसके अलावा, विभिन्न धाराओं को फिर से क्रमांकित किया गया है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होगी और अगले कुछ वर्षों में मामलों के लंबित रहने की बड़ी समस्या पैदा हो सकती है – वर्तमान में निचली अदालतों में 6.4 करोड़ मामले लंबित हैं, जो पहले से ही असहनीय हो रहे हैं। प्रतिस्थापित कानूनों के उपयोग से 100 से अधिक वर्षों में निर्मित केस लॉ का कोई उपयोग नहीं होगा और वादी, वकील और न्यायाधीश संवैधानिक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संघर्ष करेंगे। एसएचओ को एफआईआर दर्ज करने की सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं, यानी एफआईआर दर्ज करना भी उनके विवेक पर होगा, पहले के प्रावधान के विपरीत, जिसके तहत एफआईआर दर्ज करवाना प्रत्येक नागरिक का अधिकार था। पुलिस हिरासत की अवधि मौजूदा 15 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। पुलिस को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और अपनी वास्तविक मांगों के लिए घेराव करने वाले श्रमिकों के खिलाफ मामले दर्ज करने का अधिकार दिया गया है यहां तक कि न्यायालयों को दर्शाने के लिए परिभाषा खंड में प्रचलित शब्द 'न्यायालय' को भी केवल 'न्यायालय' ही कहा गया है।

पहले से ही हिट–एंड–रन मामलों से संबंधित गंभीर प्रावधानों के कारण देश भर के ट्रक ड्राइवरों की ओर से सरकार को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था, सरकार को पीछे हटना पड़ा और कहना पड़ा कि उन धाराओं को लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्होंने उन्हें निरस्त नहीं किया है। इस बात पर भी आपत्ति है कि हिंदी उन लोगों पर थोपी जा रही है जिनकी भाषा हिंदी नहीं है। यहां तक कि संविधान के अनुच्छेद 348 और आधिकारिक भाषा अधिनियम में भी यह अनिवार्य किया गया है कि संसद और विधानसभाओं के सभी अधिनियमों के पाठ अंग्रेजी में होने चाहिए। यहां तक कि यह सुझाव भी दिया गया है कि इस तरह की गड़बड़ी करने के बजाय, मौजूदा कानूनों में संशोधन का सुझाव देते हुए पांच पन्नों का एक दस्तावेज प्रसारित किया जा सकता था। संक्षेप में, यह इस सरकार का एक और मूर्खतापूर्ण कदम है, जो 2016 में की गई नोटबंदी के समान है तथा नव–उदारवादी ताकतों के हितों के अनुकूल है जो आपराधिक न्यायशास्त्र का पुनर्गठन करके लोगों के अधिकारों पर हमले बढ़ा देगा। इसलिए अधिक खतरनाक है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, स्वतंत्र फेडरेशनों और एसोसिएशनों का मंच सरकार से इन कानूनों को खत्म करने और पुराने कानूनों को वापस लागू करने का आग्रह करता है। प्रस्तावित किसी भी बदलाव को अपनाने और लागू करने से पहले सार्वजनिक डोमेन में चर्चा की जानी चाहिए। संयुक्त बयान पर आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी, एचएमएस, सीआईटीयू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ, यूटीयूसी और क्षेत्रीय फेडरेशनध्एसोसिएशन के नेताओं ने हस्ताक्षर किए।

भारतीय चिकित्सा मिशन को चीन भेजने में सुभाष चंद्र बोस...

पेज 3 से जारी...

कार्यक्रम के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की। सुभाष चंद्र बोस को 28 अगस्त 1938 को बॉम्बे पहुंचना था और उस बैठक की अध्यक्षता करनी थी। लेकिन दक्षिण भारत में उनकी व्यस्तता के कारण, सरदार बल्लभ भाई पटेल ने बैठक की अध्यक्षता की थी (युगांतर पत्रिका, 25.08.1938)। चूंकि बोस को दक्षिण भारत, विशेष रूप से केरल के विभिन्न केंद्रों से कई निमंत्रण मिले थे, इसलिए उन्हें बॉम्बे में चीन के लिए मेडिकल मिशन टीम की विदाई के कार्यक्रम में उपस्थित होने की योजना रद्द करनी पड़ी (द इंडियन एक्सप्रेस, 22.08.1938)। डा. अटल ने कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष बोस को एक संदेश भेजा, जिसमें उनके पूरे प्रयास के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और पुष्टि की कि वे भारतीय ध्वज की गरिमा को बनाए रखने की कोशिश करेंगे (युगांतर पत्रिका 02.09.1938)। सुभाष चंद्र बोस और चीन के बारे में पत्र, लेख और संदेशः मॉडर्न रिव्यू जर्नल में, सुभाष चंद्र बोस ने सुदूर पूर्व में जापान की भूमिका पर एक लेख लिखा और 1937 में चीन पर हमले की निंदा की। कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय चिकित्सा मिशन के प्रस्थान की पूर्व संध्या पर डा. अटल को एक संदेश भेजा, "हम आपके महान कार्य में आपकी सफलता की कामना करते हैं क्योंकि यह भारत का गौरव होगा।" "चीन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण समय में जब वह जीवन और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, आपको और आपके साथियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा महान चीनी राष्ट्र के लिए भारत की सद्भावना, सम्मान और सहानुभूति के प्रतीक के रूप में भेजा जा रहा है। काफी जोखिम और असुविधा के साथ, आप कल सेवा और प्रेम के अपने मिशन पर निकलेंगे। जिस मिशनरी उत्साह से आप प्रेरित हैं, वह उस भावना की याद दिलाता है जिसने भारत के पुराने मिशनरियों को प्रेरित किया। आप अपने काम से उस देश को सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाएँ जिससे आप संबंधित हैं और उसे दूसरे उत्पीड़ित राष्ट्र से जोड़ने में मदद करें। हम आपके महान कार्य में सफलता की कामना करते हैं, क्योंकि यह भारत का गौरव होगा (द इंडियन एक्सप्रेस, 01.09.1938)।

इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने 3 सितंबर 1938 को 'ए गुडविल ऑफरिंग' शीर्षक से एक छोटा लेख निकाला, जिसमें चीन में मेडिकल मिशन भेजने में कांग्रेस पार्टी और दो राष्ट्रपतियों (सभापतियों–नेहरू और सुभाष बोस) की भूमिका का उल्लेख किया गया था। एक भारतीय एम्बुलेंस इकाई चीन के लिए रवाना हुई है, जिसे एक कांग्रेस अध्यक्ष (नेहरू) की पहल पर बनाया गया, दूसरे (बोस) द्वारा इसके मिशन की शुरुआत की गई, और तीसरे की शुभकामनाएं लेकर यह मिशन आगे बढ़ा। लेख में उल्लेख किया गया है कि यूनिट के नेता डा. अटल एक बेहद परोपकारी व्यक्ति हैं जो हर उस जगह राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां लोग संकट में हैं (इंडियन एक्सप्रेस, 03.09.1938)। 'हमें विश्वास है कि आपकी सेवा से आप पीड़ित चीनी भाइयों को राहत प्रदान कर रहे हैं और भारत को गौरव दिला रहे हैं', सुभाष चंद्र बोस ने 8 अप्रैल, 1939 को डा. अटल को एक संदेश भेजा। लेकिन चीन और एशियाई पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के बारे में उनका इरादा उनके काम से स्पष्ट था। उन्होंने 1939 में चीन जाने का इरादा किया। डा. हुआंग चाओजिन 1939–1942 के दौरान कलकत्ता के वाणिज्य दूतावास कार्यालय में वाणिज्यदूत थे। 1966 में, वे फिर से कलकत्ता आए। उनके विचार में, नेताजी को डर था कि ब्रिटिश सरकार उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए, उन्होंने डा. हुआंग से मुलाकात की और पूछा कि क्या वह राजधानी चोंग किंग में राजनीतिक शरण ले सकते हैं। लेकिन डा. हुआंग ने कहा कि उन्हें चीनी सरकार से अनुमति लेनी होगी। कुछ दिनों के बाद, बोस ने खुद उन्हें फोन किया और उन्हें बताया कि उन्होंने अपनी योजना बदल दी है। शायद चीन में मेडिकल मिशन भेजने ने उन्हें राजनीतिक और क्रांतिकारी कार्यों को जारी रखने के लिए चीन जाने के लिए प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक जीवन 1939 के बाद भारत में लंबे समय तक नहीं चला। इसलिए, मेडिकल मिशन भेजने में उनके महत्वपूर्ण योगदान ऐतिहासिक लेखन और पुस्तकों में दब गए। सुभाष चंद्र बोस के योगदान के बारे में सभी दस्तावेजों, तथ्यों और आंकड़ों को दर्ज करना असंभव है। अगर वे भारत से जल्दी विदेश नहीं जाते, तो वे अपनी रोजमर्रा की राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त रह सकते थे। उस स्थिति में, शायद चीन में भारतीय चिकित्सा मिशन का इतिहास अलग तरह से लिखा जा सकता था।

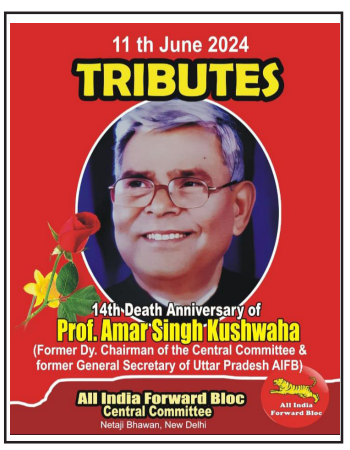

आयुध निर्माणी कर्मचारी संघ, देहू रोड, पुणे ने रक्षा कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर 10 जुलाई 2024 को एक गेट मीटिंग का आयोजन किया है। टीयूसीसी के अध्यक्ष कॉमरेड इंदु प्रकाश मेनन ने सभा को संबोधित किया।

असम के वामपंथी और धर्मनिरपेक्ष दलों के नेताओं ने 26 जून 2024 को बैठक की और महंगाई, बेरोजगारी और कृषि मुद्दों के खिलाफ संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। एआईएफबी असम राज्य समिति के अध्यक्ष कॉमरेड मिहिर नंदी ने एआईएफबी की ओर से बैठक में भाग लिया।

तीस्ता जल संधि वार्ता में बंगाल सरकार को भी शामिल किया जाना चाहिए

(25 जून 2024 को तीस्ता जल संधि पर एआईएफबी के महासचिव कमरेड जी. देवराजन द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित बयान)

ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल और फरक्का संधि के बारे में चर्चा में पश्चिम बंगाल सरकार को भी शामिल किया जाए। बंगाल सरकार को शामिल किए बिना भारत और बांग्लादेश के बीच एकतरफा वार्ता बंगाल के हितों के खिलाफ है और पिछली समझ के अनुसार उचित नहीं कहा जा सकता है। इस संबंध में एक त्रिपक्षीय चर्चा की आवश्यकता है।

इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपनाया गया रुख सराहनीय और उचित है।

भारत और बांग्लादेश के बीच कई मुद्दे लंबित हैं। साथ ही, दोनों देश कुछ मुद्दों पर समाधान खोजने में सक्षम हैं। एन्क्लेव के आदान–प्रदान पर समझौता उनमें से एक है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक ने एन्क्लेवों के आदान–प्रदान की चर्चा के दौरान सामान्य रूप से राज्य और विशेष रूप से उत्तर बंगाल के लोगों के हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कांग्रेस नेता डा. बी.सी. रॉय के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार को शामिल किए बिना नेहरू–नून समझौते, 1958 की चर्चा को याद रखना आवश्यक है। डा. रॉय ने इस तरह के एकतरफा कदम का विरोध किया और पश्चिम बंगाल विधानसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया।

तीस्ता सिंचाई परियोजना 1976 में शुरू की गई थी। लेकिन इसकी स्थापना के आधे दशक बाद, परियोजना का केवल 25 प्रतिशत ही पूरा हो पाया है। चूंकि परियोजना पूरी नहीं हुई थी और तीस्ता जल संधि खतरे की तलवार की तरह लटकी हुई थी, इसलिए उत्तर बंगाल में पूरी कृषि गतिविधि बुरी तरह प्रभावित हुई थी।

सिक्किम में, जहां तीस्ता नदी का उद्गम होता है और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में, भूस्खलन बहुत बार होता है, जिससे नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप हर मानसून में इस क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आती है।

उत्तर बंगाल के समग्र विकास के लिए कई लोकप्रिय आंदोलन काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को किसी भी प्रकार की चर्चा करने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श करना चाहिए।

तीन नए आपराधिक कानूनों की उचित...

पेज 1 से जारी...

आसानी से होगा।

गत् 26 फरवरी 2024 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर इन तीनों नए आपराधिक कानूनों का विरोध किया गया जिसमें देश के जाने माने वकील विद्वान, सिविल सोसाइटी के लोग जैसे बुद्धिजीवियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन से यह तथ्य निकला था कि इन कानूनों से औपनिवेशक मनोदशा से मुक्ति नहीं मिलने वाली है तथा इन्हें विरोध के सुर को कुचलने में प्रयोग किया जाएगा। यही कारण था कि इसे कानूनी रूप देने के वक्त संसद से 150 सांसदों को निष्काषित कर दिया गया क्योंकि इन तीन प्रस्तावित बिलों पर बहस करने हेतु सरकार स्वयं को सक्षम नहीं पा रही थी। हाल में वकीलों और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि वे इन तीनों कानूनों को यथाशीघ्र रोक दें क्योंकि पहले से कार्याधिक के चलते देश की कानूनी प्रक्रिया दबी जा रही है और ये कानून और अधिक मुकदमों की संख्या को बढ़ा देंगे तथा कानूनी प्रक्रिया अक्षम होती जाएगी। पुलिस दमन बढ़ेगा। पुराने मामले पीछे धकेल दिए जाएंगे। क्योंकि भ्रम की स्थिति बन गइ है कि उन मामलों में जो 1 जुलाई के बाद दर्ज है जिनेमें घटित अपराध 1 जुलाई के पूर्व का है।

दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु के वकीलों के संगठनों जिनमें 13000 से ज्यादा सदस्य हैं, ने इन तीनों कानूनों के प्रति विरोध दर्शाया तथा इस हेतु एक दिन का कार्य बाधित भी किया। दक्षिण भारत में लोग इन कानूनों के नामकरण की आड़ में उन पर हिन्दी थोपे जाने का प्रयास कहा है तथा स्पष्ट विरोध दर्ज किया है। यह आरोप गंभीर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

वर्तमान सत्ता द्वारा यूएपीए के दुरूपयोग की घटनाएं देखी गई। संबंधित अधिकारियों द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले लोग निशाने पर लिए गए। विरोधियों को चुप कराने में यह प्रयुक्त हुआ। अब यह यूएपीए तो व्यक्तिगत स्तर पर प्रयोग में लाया जाएगा। नए कानून अमानवीय रूप से सख्त है।

निष्कर्ष: देश में कानूनी बिरादरी ने इन तीनों नए कानूनों का विरोध किया है। इन आपराधिक कानूनों की निर्माण प्रक्रिया असंवैधानिक रही है। राज्यों के अनेक बार कौंसिल तथा बार संगठनों ने विरोध जताया है। अनेक पत्र सरकार को लिखे गए हैं तथा सेमिनार किए गए हैं। अब यह आवश्यक हो गया है कि संसद में इन तीन नए आपराधिक कानूनों की उचित और गंभीर समीक्षा कराई जाए। कानूनी बिरादरी तथा जनभावाओं के विचारों का सम्मान करते हुए इन पर बहस हो तभी ये स्वीकार्य होंगे। मानवाधिकार समूह 'एमनेस्टी' ने कहा है कि भारतीय अधिकारियों को तुरन्त इन तीनों कानूनों को रद्द कर देना चाहिए अन्यथा पुलिस का दुरूपयोग बढ़ जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि नए तीनों कानून देश की जनता को औपनिवेशिक मनोदशा से राहत देने वाले नहीं है।। यह कहना उचित होगा कि इनके जरिए उपनिवेशवाद का विस्तार होगा जो तीखा भी होगा। राजसत्ता की भावना स्पष्ट है। जनता को यह स्पष्ट करना है कि ऐसे कानून समय की मांग नहीं है। एक नई लोकतांत्रिक बयार में हमें देश का निर्माण करना होगा तथा इस हेतु समाज की मनोदशा के अनुकूल मानवीय गरिमा को देखते हुए कानून बनाने होंगे। इस हेतु हम सबको इन तीनों आपराधिक कानूनों का विरोध करना होगा जिनके निर्माण में देश के संसद की मेधा शक्ति का उपयोग हुआ ही नहीं है। आज हमारा जीवन और हमारी स्वतंत्रता असुरक्षित है अर्थात् खतरे में है।

देशभर में मनाया गया पार्टी का 85वां स्थापना दिवस

फॉरवर्ड ब्लॉक की देशभर की इकाइयों ने 22 जून 2024 को पार्टी का 85वां स्थापना दिवस शानदार और गरिमामय तरीके से मनाया

फॉरवर्ड ब्लॉक भदोही (उत्तर प्रदेश) इकाई ने महंगाई, बेरोजगारी और कृषि संकट के खिलाफ 16 जुलाई 2024 को सामूहिक धरना आयोजित किया है।

फॉरवर्ड ब्लॉक पुरुलिया जिला कमेटी (पश्चिम बंगाल) ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे जिले में 50000 पेड़ लगाने का निर्णय लिया है।

फॉरवर्ड ब्लॉक की बंगाल कमेटी की बैठक 29–30 जून 2024 को हेमंत बसु भवन, कोलकाता में हुई। बंगाल कमेटी के अध्यक्ष कॉमरेड गोविंद रॉय ने अध्यक्षता की और बंगाल कमेटी के महासचिव कॉमरेड नरेन चटर्जी ने संगठनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की। केंद्रीय कमेटी के महासचिव जी. देवराजन ने 19–20 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय कमेटी की बैठक के निर्णयों की व्याख्या की।

फॉरवर्ड ब्लॉक की केरल राज्य कमेटी की बैठक 6–7 जुलाई 2024 को नेताजी भवन, कोल्लम में हुई। राज्य समिति के वरिष्ठ नेता और वित्त सचिव कॉमरेड बी. राजेंद्रन नायर ने अध्यक्षता की और राज्य समिति के महासचिव कॉमरेड टी. मनोज कुमार ने संगठनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की। केंद्रीय कमेटी के महासचिव कॉमरेड जी. देवराजन ने 19–20 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय कमेटी की बैठक के निर्णयों की व्याख्या की।

फॉरवर्ड ब्लॉक बैठकों में राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा

(23 जून 2024 को पार्टी की केंद्रीय कमेटी की बैठक के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव कॉमरेड जी देवराजन द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित बयान)

ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बैठकों में राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा। यह निर्णय 19 और 20 तारीख को नई दिल्ली में आयोजित इसकी केंद्रीय कमेटी की बैठक में लिया गया है।

इससे पहले, पार्टी अपने सम्मेलनों, परिषद की बैठकों और विशेष दिनों जैसे पार्टी स्थापना दिवस (22 जून), नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन (23 जनवरी), आजाद हिंद सरकार का स्थापना दिवस (21 अक्टूबर) आदि पर केवल पार्टी का झंडा फहराती थी। 2022 में, फॉरवर्ड ब्लॉक ने अपने झंडे से हथौड़ा और दरांती को हटा दिया और लाल झंडे पर उछलता हुआ बाघ रखा।

बैठक में 2024 के चुनाव परिणामों की समीक्षा की गई और कहा गया कि परिणाम देश के संविधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष चरित्र की रक्षा के लिए एक निर्णायक जनादेश है। समिति द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया कि वामपंथियों में राष्ट्रीय स्तर पर कोई एकता नहीं है और किसी भी वामपंथी दल ने ऐसा करने का प्रयास नहीं किया। सभी वामपंथी दलों ने संसद में पहुंचने के लिए किसी न किसी के साथ खड़े होने की कोशिश की।

लेकिन ऐसा करते समय हर दल वामपंथी एकता बनाए रखना भूल गया। सभी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दूसरे दलों से सीटें हासिल करने की कोशिश की। वामपंथ इस चुनाव में कुछ हासिल नहीं कर सका, क्योंकि वह एकता बनाए रखने में असमर्थ था और एकजुट दृष्टिकोण अपनाने को तैयार नहीं था। इसके कारण वामपंथी दलों और उनके जन संगठनों द्वारा देश भर में चलाए गए फा/सीवाद विरोधी संघर्ष का लाभ वामपंथी दलों को नहीं मिल पाया। संसद में वामपंथियों की उपस्थिति तभी बढ़ सकती है, जब विरोध प्रदर्शनों और संगोष्ठियों में दिखाई गई एकता चुनावों में भी ईमानदारी से दिखाई दे। इसलिए वामपंथी दलों को कुछ गंभीर आत्ममंथन करना चाहिए। बैठक में राज्य कमेटियों से राज्य स्तर पर चुनावों की समीक्षा करने और विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया। बैठक में सरकार से आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधनों को जल्दबाजी में लागू न करने और इस संबंध में संसद में पर्याप्त चर्चा करने की मांग की गई। बैठक में अग्निवीर योजना को रद्द करने की मांग की गई और साथ ही नीट–यूजी परीक्षा को रद्द कर तुरंत नई परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने वित्त मंत्री को संयुक्त ज्ञापन...

पेज 8 से जारी...

के लाभ के लिए सरकारी वित्त पोषित प्रशिक्षुता की योजना को निजी नियोक्ताओं के लिए अपने संबंधित प्रतिष्ठानों में आवश्यक संख्या में प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए वैधानिक दायित्व द्वारा पूरी तरह से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें उन्हें नियमित रोजगार में चरणबद्ध तरीके से रखने का स्पष्ट प्रावधान हो। 200 दिनों के काम को वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के साथ सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा के लिए आवंटन में वृद्धि। 43वें आईएलसी में सर्वसम्मति से की गई सिफारिश के अनुसार इस योजना को शहरी क्षेत्रों में विस्तारित करें। सभी लंबित मजदूरी का तत्काल भुगतान करें। स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम 2014 के तहत वेंडिंग लाइसेंस जारी करने और सर्वेक्षण करने के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन किया जाना चाहिए और जलवायु अनुकूल बाजार सुनिश्चित करना चाहिए।

5. एनपीएस: नई पेंशन योजना को समाप्त किया जाना चाहिए और लाभ परिभाषित पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना चाहिए।

6. 8वें वेतन आयोग का तुरंत गठन किया जाना चाहिए।

7. श्रम संहिताओं को निरस्त किया जाना चाहिए: 29 श्रम कानूनों को निरस्त करने वाले सभी 4 श्रम संहिताओं को निरस्त और समाप्त किया जाना चाहिए। उक्त 29 श्रम कानूनों को बहाल किया जाना चाहिए। भारतीय श्रम सम्मेलन की सर्वसम्मति अनुशंसा के अनुरूप न्यूनतम मजदूरी 26000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए, जिसमें भारत सरकार भी एक पक्ष है। आईएलओ कन्वेंशन 144 के अनुसार आईएलसी को तुरंत बुलाया जाए।

8. पीएसयू का निजीकरण रोका जाए: पीएसयू का निजीकरण और उसका नवीनतम स्वरूप– राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए। रेलवे में उत्पादन और सेवा में विभिन्न तरीकों से निजीकरण, रक्षा क्षेत्र में कंपनियों के गठन और उनके विलय आदि के माध्यम से निजीकरण की प्रक्रिया, कोयले में निजीकरण और कोयला ब्लॉकों की नीलामी, बंदरगाह और डॉक्स में बड़े पैमाने पर निजीकरण, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन आदि में बेलगाम तरीके से निजीकरण चल रहा है। इन सबको तुरंत रोका जाना चाहिए। बीएसएनएल और आरआईएनएल की संपत्तियों को बेचने की कार्रवाई को तुरंत रोका जाए। आरआईएनएल (वैजाग स्टील प्लांट) का निजीकरण रोका जाए। सभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को मजबूत बनाया जाए।

विभिन्न तरीकों से बिजली का निजीकरण रोका जाए। बिजली बिल वापस लिया जाए। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर योजना को खत्म किया जाए।

घर–घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली का निजीकरण रोका जाए और पारंपरिक कचरा रिसाइकिल करने वालों को रोजगार और उनकी तकनीक और कौशल उन्नयन सुनिश्चित किया जाए।

9. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सरकारी खजाने की लूट और बीमा क्षेत्र का निजीकरण रोका जाना चाहिए: बट्टे खाते में डालने के रूप में चूक करने वाले करपोरेट्स की ऋण माफी और दिवालियापन साबित करना, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, पूंजी निवेश प्रोत्साहन आदि को बंद किया जाना चाहिए क्योंकि वे नियमित रोजगार सृजन के मामले में कोई सार्थक परिणाम नहीं दे रहे हैं।

10. एलआईसी और जीआईसी के निजीकरण के कदम को रोकें: आम लोगों और राष्ट्र के व्यापक हित में एलआईसी–आईपीओ जैसे विभिन्न कदमों के माध्यम से एलआईसी और जीआईसी का निजीकरण रोकें।

11. सामाजिक क्षेत्र: खाद्य/पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक और सेवा क्षेत्रों का निजीकरण रोकें। स्वास्थ्य और शिक्षा में बुनियादी सेवाओं के लिए आवंटन बढ़ाएँ। पेयजल, स्वच्छता, आवास आदि के लिए पर्याप्त आवंटन। एससी/एसटी उपयोजना और लिंग बजट के लिए बजट आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए।

रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों के लिए रियायतें बहाल करें।

12. मूल्य वृद्धि: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण शुल्कों और आवश्यक सेवाओं में वृद्धि को तत्काल ठोस सुधारात्मक उपायों के साथ नियंत्रित किया जाना चाहिए। खाद्य पदार्थों की सट्टा वायदा व्यापार और जमाखोरी पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए।

13. योजना कर्मी: आंगनवाड़ी, मिड–डे–मील, आशा कार्यकर्ता, ब्लॉक सुविधाकर्ता, पैरा शिक्षक और अन्य योजना कर्मियों जैसे योजना कर्मियों को आईएलसी की सर्वसम्मति से की गई सिफारिश के अनुसार बढ़ी हुई वैधानिक न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन सहित अन्य लाभों के साथ–साथ श्रमिकों के रूप में नियमित किया जाना चाहिए। आईसीडीएस, एमडीएमएस, एनएचएम आदि जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने वाली सभी केंद्रीय योजनाओं के लिए आवंटन में वृद्धि करें। सभी को विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ–साथ बाल देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं को मजबूत करें।

14. ईपीएफ: पीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई योजनाओं में योगदान भेजने में चूक करने वाले नियोक्ताओं पर दंडात्मक शुल्क में कमी की हाल की राजपत्र अधिसूचनाओं को रद्द करें। ईपीएस के तहत 9000 रुपये और उससे अधिक की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करें। सभी श्रमिकों को कवर करने के लिए कवरेज बढ़ाएं। ईपीएफओ के न्यासी बोर्ड में भेदभावपूर्ण प्रतिनिधित्व को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए।

15. ईएसआईसी: सभी कार्य क्षेत्रों के कवरेज और बढ़ी हुई कवरेज सीमा के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए ईएसआईसी सेवाओं को मजबूत करें।

16. एमएसपी: डा. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी कृषि उपज के लिए गारंटीकृत खरीद के साथ वैधानिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करें।

संयुक्त ज्ञापन पर आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी, एचएमएस, सीआईटीयू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ, यूटीयूसी और क्षेत्रीय फेडरेशनध्एसोसिएशन के नेताओं ने हस्ताक्षर किए।

RNI No.43038/1985 Postal Reg. No.: DL(C)-14/1434/2024-26 Total Page 8 Posted at : SPM, SRT Nagar PO, New Delhi-110055
Hindi Monthly Published on 25-7-2024 Posting Date: 28 & 29 of the Same Month

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने वित्त मंत्री को संयुक्त ज्ञापन सौंपा

भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 24 जून 2024 को अपने कार्यालय, नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं के साथ बजट–पूर्व चर्चा बुलाई थी। टीयूसीसी, केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष कॉमरेड इंदु प्रकाश मेनन ने बैठक में भाग लिया और टीयूसीसी की राय प्रस्तुत की। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने वित्त मंत्री को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा है, जो इस प्रकार है:

सेवा में,
माननीय वित्त मंत्री
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली–110001

विषय: वर्ष 2024–2025 के लिए बजट तैयार करने के लिए विचार किए जाने वाले मुद्दों पर सीटीयू के विचार।

महोदया,

हम, देश के धन सृजनकर्ताओं, श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधि, देश के लोकतंत्र और संविधान में अपने विश्वास के कारण ही इस बजट–पूर्व परामर्श में भाग ले रहे हैं। हम यह कहने को मजबूर हैं क्योंकि आपकी पिछली सरकारों के बजट या किसी भी नीति को तैयार करते समय ट्रेड यूनियनों के एक भी सुझाव पर विचार नहीं किया गया। एनडीए सरकारों के तहत सर्वोच्च त्रिपक्षीय मंच, भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) को बुलाए हुए एक दशक होने जा रहा है। आपको याद होगा कि एनडीए सरकार के तहत आयोजित एकमात्र आईएलसी की मुख्य सिफारिश पिछली आईएलसी की सिफारिशों को लागू करने की थी, जिस पर फिर से कोई ध्यान नहीं दिया गया।

न केवल हमारे सुझावों और मांगों को नजरअंदाज किया जाता है, बल्कि आपकी सरकारें सभी त्रिपक्षीय लोकतांत्रिक तंत्रों और संस्थाओं को दरकिनार करते हुए उन नीतियों के बिल्कुल विपरीत नीतियों को लागू कर रही हैं। इसका ताजा उदाहरण श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना है, जिसमें ईपीएफ में चूक करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ लगाए जाने वाले जुर्माने की दरों में भारी कमी की गई है। यह ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड को अंधेरे में रखते हुए और यूनियनों के साथ किसी भी तरह के परामर्श के बिना किया गया है।

हमें उम्मीद है कि नई एनडीए सरकार इस अनुभव से सीख लेगी कि ऐसी नीतियों ने केवल कुछ कॉरपोरेट्स की मदद की है और देश को भारी असमानताओं और बेरोजगारी, भूख और कुपोषण के खतरनाक स्तरों पर ले गई है, जो विश्व भूख सूचकांक से स्पष्ट है।

लोगों के व्यापक हित और अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद गंभीर स्थिति को देखते हुए, हम आपसे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के उपाय करने की उम्मीद करते हैं।

सीटीयू बजट 2024–2025 के लिए ये ठोस सुझाव पेश करता है।

1. संसाधन जुटाना: आम जनता पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं और दवाओं पर जीएसटी का बोझ डालने के बजाय कॉर्पोरेट टैक्स, संपत्ति कर और विरासत कर बढ़ाकर संसाधन जुटाना होगा। दशकों से, कॉर्पोरेट कर की दरों में अन्यायपूर्ण तरीके से कटौती की गई है और साथ ही आम लोगों पर अप्रत्यक्ष कर का बोझ बढ़ाने से एक बहुत ही प्रतिगामी कर संरचना बन गई है। निष्पक्षता, समानता और औचित्य के हित में इसे ठीक किया जाना चाहिए। अति–धनवानों पर एक प्रतिशत विरासत कर की सीमा भी बजट प्राप्तियों में बहुत बड़ी राशि ला सकती है। इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक क्षेत्रों के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है। इसलिए आवश्यक खाद्य वस्तुओं और दवाओं पर जीएसटी को तुरंत कम किया जाना चाहिए।

2. वेतनभोगी वर्ग के लिए आयकर छूट: वेतनभोगी वर्ग के लिए उनके वेतन और ग्रेच्युटी पर आयकर छूट की अधिकतम सीमा को काफी हद तक बढ़ाया जाना चाहिए।

3. सामाजिक सुरक्षा कोष: असंगठित क्षेत्र के कामगारों और कृषि क्षेत्र के कामगारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि उन्हें न्यूनतम 9000 रुपये प्रति माह पेंशन और अन्य चिकित्सा, शैक्षिक लाभ सहित परिभाषित सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रदान की जा सकें। कामगारों, विशेष रूप से अपशिष्ट पुनर्चक्रण करने वालों, नमक के बर्तन बनाने वालों, कांच की चूड़ी बनाने वालों आदि जैसे कमजोर व्यवसायों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजनाएं लानी चाहिए।

कम आय वाले सत्रों के दौरान और गर्मी और ठंडी के प्रकोप वाले दिनों, बेमौसम बारिश, बाढ़, चक्रवात और ऐसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आय/मजदूरी हानि की भरपाई होनी चाहिए। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि में इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण कामगारों को होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए जलवायु लचीलापन कोष की स्थापना की जानी चाहिए।

सभी असंगठित कामगारों को ई–श्रम पोर्टल पर नामांकित किया जाना चाहिए और इन योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। वर्तमान योजनाओं के तहत मौद्रिक लाभ बढ़ाए जाने चाहिए क्योंकि वे अपर्याप्त हैं। जीएसटी लागू करते समय किए गए वादे के अनुसार बीड़ी उपकर अधिनियम को निरस्त करने के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक निधि प्रदान की जानी चाहिए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी ईएसआई का लाभ दिया जाना चाहिए। छोटे किसानों/ कृषि श्रमिकों/बटाईदारों को भी किसान सम्मान योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। इसी तरह, कृषि श्रमिकों/बटाईदारों को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। राशन कार्ड और अन्य पहचान पत्रों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सामंजस्य और अंतरराज्यीय प्रबंधन तंत्र सुनिश्चित करने के लिए बजट आवंटित किया जाना चाहिए। इससे प्रवासी श्रमिकों को उनके स्रोत और गंतव्य पर सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

4. रोजगार सृजन: केंद्र सरकार के विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में सभी मौजूदा रिक्तियों को तुरंत भरा जाना चाहिए। अनुबंध और आउटसोर्सिंग की प्रथा को बंद किया जाना चाहिए और इसके बजाय नियमित रोजगार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करें। अग्निवीर, आयुधवीर, कोयलावीर और इस तरह के निश्चित अवधि के रोजगार को बंद किया जाना चाहिए और उन सभी क्षेत्रों में नियमित रोजगार दिया जाना चाहिए। कौशल भारत के नाम पर निजी नियोक्ताओं

शेष पेज 7 पर...

जन गर्जन हिन्दी मासिक ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लाक की केन्द्रीय समिति के लिए देवब्रत बिश्वास, पूर्व सांसद सदस्य द्वारा टी–2235/2, अशोक नगर, फैज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 से मुद्रित तथा प्रकाशित। दूरभाष : 28754273
संपादक : देवब्रत बिश्वास, पूर्व सांसद
मुद्रण स्थल : कुमार ओफसेट प्रिंटर्स, 381, पटपड़ गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली 110092 वेबसाईट: www.forwardbloc.org
ईमेल:biswasd.aifb@yahoo.co.in
कम्प्यूटर कम्पोजिंग : प्रकाशन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लाक, नेताजी भवन, नई दिल्ली

जन गर्जन
नेताजी भवन,
टी–2235/2, अशोक नगर, फैज रोड,
करोल बाग, नई दिल्ली–110005
दूरभाष: 011–28754273

जन गर्जन
ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लॉक का हिन्दी मासिक

सेवा में,